Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में थानाधिकारी, पुलिस थाना बगरू 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *21 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर मुख्यालय की स्पेशल इन्वेस्टिंगेशन यूनिट, जयपुर द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये रतन लाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना बगरू, जयपुर पश्चिम, आयुक्तालय जयपुर महानगर को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल इन्वेस्टिंगेशन यूनिट, जयपुर को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके विरूद्ध दर्ज की गई शिकायत में कार्यवाही नहीं कर मामले को रफा–दफा करने की एवज में रतन लाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना बगरू, जयपुर पश्चिम, आयुक्तालय जयपुर महानगर द्वारा 25 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी स्पेशल इन्वेस्टिंगेशन यूनिट, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री बजरंग सिंह शेखावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री सचिन शर्मा, पुलिस निरीक्षक श्री रघुवीर शरण** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये रतन लाल पुत्र श्री नारायण लाल खटीक निवासी गोसुण्डा, पुलिस थाना चन्देरिया, जिला चित्तौडगढ़ हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी, पुलिस थाना बगरू, जयपुर पश्चिम, आयुक्तालय जयपुर महानगर को परिवादी से **10 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि के रूप में 15 हजार रुपये पहले ही वसूल कर लिये थे।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. एवं उपमहानिरीक्षक श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***"िजेंचच हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24ग7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।